Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44–2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 8, 2019 (PHALGUNA 17, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 मार्च, 2019

संख्या 31/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 10 की उप–धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 34/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017, को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, विनिर्दिष्ट करते हैं कि कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूववर्ती वित्तीय वर्ष में समग्र आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के अधीन भुगतानयोग्य राज्य कर के बदले में, कर की वह राशि जो हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, के नियम 7 में यथा विहित है के भुगतान का विकल्प ले सकेगाः

परंतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त समग्र आवर्त, निम्नलिखित किन्हीं राज्यों में, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में पचहत्तर लाख रुपए होगा, अर्थात् :–

(i) अरूणाचल प्रदेश,

(ii) मणिपुर,

(iii) मेघालय,

(iv) मिजोरम,

(v) नागालैंड,

(vi) सिक्किम,

(vii) त्रिपुरा,

(viii) उत्तराखंड

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका विवरण नीचे सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय, जैसी भी स्थिति हों, के अधीन आता है, अर्थात् :–

सारणी

क्रम संख्या	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	आईस–क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं
2	2106 90 20	पान मसाला
3	24	सभी वस्तुएं अर्थात् तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प।

व्याख्या.–

(i) इस सारणी में, ''टैरिफ मद'', ''उपशीर्ष'', ''शीर्ष'' और ''अध्याय'' से अभिप्राय है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें प्रथम अनुसूची के खण्ड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी शामिल हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2019 से लागू होगी ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 8th March, 2019

No. 31/GST-2.— In exercise of the powers conferred under the proviso to Sub-section (1) of Section-10 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter referred to as the "said Act"), and in supersession of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 34/ST-2, dated 30th June, 2017, except as things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby specifies that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under Sub-section (1) of Section 9 of the said Act, an amount of tax as prescribed under rule 7 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017:

Provided that the said aggregate turnover in the preceding financial year shall be seventy-five lakh rupees in the case of an eligible registered person, registered under section 25 of the said Act, in any of the following States, namely: –

(i) Arunachal Pradesh,

(ii) Manipur,

(iii) Meghalaya,

(iv) Mizoram,

(v) Nagaland,

(vi) Sikkim,

(vii) Tripura,

(viii) Uttarakhand:

Provided further that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

Serial Number	**Tariff item, sub-heading, heading or Chapter**	**Description**
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2	2106 90 20	Pan masala.
3	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes.

Explanation. –

(i) In this Table, "tariff item", "sub-heading", "heading" and "chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapters as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

56941—C.S.—H.G.P., Chd.